

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
आलू का आयात

2297 श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अन्य देशों से आलू का आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2023 के दौरान जून तक विभिन्न देशों से आयात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हां, भारत आलू का आयात करता रहा है, पिछले तीन वर्षों के दौरान आलू के आयात का देश-वार मूल्य निम्नानुसार है:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	देश	2020-21	2021-22	2022-23
1	भूटान	0.03	0.76	1.02
2	बांग्लादेश लोक गणराज्य		0.01	
	कुल	0.03	0.77	1.02

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

वर्ष 2023-24 के दौरान (जून, 2023 तक) आलू का कोई आयात नहीं किया गया है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 2246

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारतीय बागान प्रबंध संस्थान (आईआईपीएम)

2246. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश भर में और अधिक भारतीय बागान प्रबंध संस्थान (आईआईपीएम) स्थापित करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में आईआईपीएम की स्थापना के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उसके अनुरोध की स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): इस विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
कुल निर्यात

2228 श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, आज की तारीख तक, भारत का कुल निर्यात अपने उच्चतम स्तर को पार कर गया है;
- (ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा देश के विशाल घरेलू बाजार को इष्टतम स्तर तक विकसित करने और विश्व भर में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (ग) क्या मंत्रालय द्वारा भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने और उद्योगपतियों तथा व्यापारियों द्वारा पूरे विश्व में अपने कारोबार का प्रचार करने के लिए नई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): वर्ष 2022-23 में भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) 776.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो अब तक के कुल निर्यात के मामले में सबसे अधिक है।

सरकार ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और अपने विशाल घरेलू बाजार को इष्टतम स्तर तक विकसित करने और विश्व भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।
- (ii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने और अपने विशाल घरेलू बाजार को इष्टतम स्तर तक विकसित करने और विश्व भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।
- (iii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।
- (iv) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

- (v) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।
- (vi) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत कवर किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।
- (vii) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (viii) विशिष्ट कार्य योजनाओं का अनुसरण करके सेवा निर्यात को बढ़ावा देने और उसमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- (ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (x) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों द्वारा नियमित रूप से निर्यात निष्पादन की निगरानी की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दिनांक 02 अगस्त 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुपारी का आयात

2164. श्री नलीन कुमार कटील:

श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत लगभग दो वर्षों में म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया से सुपारी के आयात में लगातार वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष और विगत चार वर्षों में भूटान से सुपारी का आयात नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने जुलाई, 2023 में भूटान से प्रतिवर्ष सुपारी का आयात करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने घरेलू सुपारी उत्पादकों द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

- (क) पिछले दो वर्षों में म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया से सुपारी के आयात में वृद्धि हुई है।
- (ख) देश में सुपारी के आयात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने दिनांक 14 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं 57/2015-2020 के तहत सुपारी आईटीसी (एचएस) 080280 का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) रूपया 251/- प्रति किग्रा. से बढ़ाकर रु. 351/- प्रति किलोग्राम कर दिया है ताकि

घरेलू किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा, आईटीसी (एचएस) 21069030 के तहत सुपारी की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित कर "निषिद्ध" कर दिया गया है और उक्त अधिसूचना के तहत यदि सुपारी का सीआईएफ मूल्य 351/- रु. या इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो सुपारी का आयात 'मुक्त' कर दिया गया है। एमआईपी शर्तें 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा आयात के लिए लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि कोई घरेलू टैरिफ क्षेत्र बिक्री की अनुमति न हो।

(ग) एवं (घ): जी हां। पिछले चार वर्षों के दौरान भूटान से सुपारी का कोई आयात नहीं हुआ है। सरकार द्वारा जारी दिनांक 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 17/2023 के साथ पठित दिनांक 28 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 36/2015-2020 के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूटान से एमआईपी शर्त के बिना 17,000 मैट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी का आयात करने की अनुमति दी गई है और ऐसे आयातों की अनुमति केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) और एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी) के माध्यम से दी जाती है और ऐसे आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी वैध बंदरगाह-विशिष्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन हैं।

(ङ) घरेलू किसानों और किसान संगठनों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर, सरकार ने सुपारी के बेरोकटोक आयात को प्रतिबंधित करने के लिए और भारतीय बाजार में, घरेलू कीमतों को अस्थिर करने वाली, निम्न गुणवत्ता वाली सुपारी के प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) सुपारी के आयात पर 100% की दर से आयात शुल्क लगाकर निरूत्साहित किया गया है, जो कि शुल्क की बाध्य दर है।

(ii) यदि आर्केनट और सुपारी का सीआईएफ मूल्य, एमआईपी मूल्य 351/- रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर या उससे अधिक है तो सुपारी का आयात "मुक्त" है और यदि सीआईएफ मूल्य 351/- रूपया प्रति किग्रा से कम है, तो इसका आयात 'निषिद्ध' है।

(iii) आयात खेपों को मंजूरी देने से पहले एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन।

(iv) सीमा शुल्क द्वारा 'उदगम' के नियमों की जांच ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्क के अलावा अन्य देशों में उगाई गई आर्केनट व्यापार करारों के तहत आयात शुल्क छूट का लाभ उठाकर हमारे पड़ोसी देशों के माध्यम से आयात नहीं की जाती है।

****.

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात

2156 प्रो. सौगत राय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों से अब तक विभिन्न देशों को निर्यात का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निर्यात वर्ष प्रति वर्ष घट रहा है;
(ग) यदि हां, तो निर्यात में कमी के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) 2020-21 में 497.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 676.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे 35.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है और वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 776.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिससे 14.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। विगत तीन वर्षों के दौरान शीर्ष 20 देशों/क्षेत्रों को भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान शीर्ष 20 मुख्य पण्य वस्तुओं के भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।
- (ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- (iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।
- (v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत कवर किया गया

है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।

- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं का अनुसरण करके सेवा निर्यात को बढ़ावा देने और उसमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- (viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।
- (ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनो की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (x) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनो, निर्यात संवर्धन परिषदो, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणो और उद्योग संघो द्वारा नियमित रूप से निर्यात निष्पादन की निगरानी की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दिनांक 2 अगस्त 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2156 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान शीर्ष 20 देशों/क्षेत्रों को भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश/क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	51,623	76,167	78,543
2	संयुक्त अरब अमीरात	16,680	28,045	31,609
3	नीदरलैंड	6,473	12,544	21,618
4	चीन लोक गणराज्य	21,187	21,260	15,306
5	बांग्लादेश लोक गणराज्य	9,692	16,156	12,204
6	सिंगापुर	8,676	11,151	11,993
7	यू के	8,158	10,461	11,406
8	सऊदी अरब	5,857	8,759	10,728
9	जर्मनी	8,125	9,883	10,135
10	इंडोनेशिया	5,026	8,472	10,024
11	ब्राजील	4,245	6,489	9,919
12	हांगकांग	10,162	10,985	9,893
13	तुर्की	3,953	8,716	9,610
14	बेल्जियम	5,236	10,084	8,864
15	इटली	4,736	8,181	8,691
16	इजराइल	2,701	4,796	8,451
17	दक्षिण अफ्रीका	3,934	6,085	8,474
18	नेपाल	6,838	9,646	8,016
19	फ्रांस	4,782	6,641	7,610
20	मलेशिया	6,058	6,995	7,156
उपरोक्त का कुल		1,94,141	2,81,516	3,00,251

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

अनुलग्नक-II

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2156 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के शीर्ष 20 प्रमुख वस्तुओं का व्यापारिक निर्यात

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	व्यूह समूह	2020-21	2021-22	2022-23
1	इंजीनियरिंग वस्तुएं	76720	112163	107036
2	पेट्रोलियम उत्पाद	25804	67472	97401
3	रत्न और आभूषण	26023	39099	37957
4	कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन	22088	29365	30342
5	औषधियाँ और फार्मास्यूटिकल्स	24444	24594	25393
6	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	11093	15660	23551
7	सभी वस्त्रों की विनिर्मितियां	12272	16015	16192
8	चावल	8829	9671	11143
9	सूती धागा/फैब्स/मेडअप, हथकरघा उत्पाद आदि	9828	15298	10946
10	प्लास्टिक और लिनोलियम	7463	9825	8366
11	समुद्री उत्पाद	5962	7772	8078
12	अभ्रक, कोयला एवं अन्य अयस्क, प्रोसेस सहित खनिज	4332	5217	5144
13	मानव निर्मित सूत/फैब्स/मेडअप आदि	3806	5615	4949
14	चमड़ा और चमड़ा विनिर्मितियां	3301	4381	4752
15	मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद	3658	4141	4029
16	मसाले	3984	3896	3784
17	सिरेमिक उत्पाद और कांच के बर्तन	3051	3465	3736
18	फल और सब्जियां	2613	2883	3206
19	अनाज के उत्पाद और विविध प्रसंस्कृत मर्दे	1860	2281	2615
20	लौह अयस्क	4897	3248	1798
उपरोक्त का कुल		2,62,028	3,82,062	4,10,418

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीईएम

2146. श्री सु. थिरुनवुककरासर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया की विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी बचत की गई है; और

(ग) जीईएम किस सीमा तक हितधारकों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से भाग लेने में मदद करेगा?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने ₹ 2,01,113 करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया।

(ख): बार-बार, विश्व बैंक और राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण सहित कई अध्ययनों ने सरकारी क्रेताओं की प्रापण बचत के संदर्भ में जीईएम द्वारा सृजित प्रभाव को इंगित किया है। 2020 में विश्व बैंक के एक अध्ययन में जीईएम के माध्यम से औसतन 9.75% लागत बचत का अनुमान लगाया गया और विक्रेताओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि नोट की।

इकॉनामिक सर्वे 2021-22 ने जीईएम पर सूचीबद्ध 22 सामान्य उपयोग की वस्तुओं की लागत की तुलना अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग से की। जीईएम पर 22 वस्तुओं में से 10 वस्तुओं की कीमतें अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वस्तुओं की कीमतों की तुलना में 9.5% कम देखी गईं।

पिछले 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों में जीईएम का सकल पण्य-वस्तु मूल्य (जीएमवी) ₹ करोड़ में	
2020-21	38,573
2021-22	106,547
2022-23	201,113

जीईएम ने 23 जुलाई, 2023 (सूत्रपात के बाद से) तक 4.5 लाख करोड़ से अधिक का संचयी जीएमवी हासिल किया है। इसलिए, ऊपर बताए गए बचत अनुमानों पर विचार करते हुए, जीईएम ने अपने सूत्रपात के बाद से ₹ 40,000 करोड़ से अधिक की बचत की सुविधा प्रदान की है।

बचत को सक्षम करने वाली प्रमुख विशेषताएं: उच्च विक्रेता भागीदारी, वास्तविक समय मूल्य तुलना, भारी छूट, प्रतिस्पर्धी बोली, रिवर्स नीलामी और मांग एकत्रीकरण जैसी बेहतर मूल्य खोज कार्यक्षमताएं।

(ग): जीईएम का उद्देश्य सरकारी प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता लाना है। यह हितधारकों को कई तरह से लाभ पहुंचाता है, जिससे उन्हें न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से भाग लेने की अनुमति मिलती है। जीईएम एक प्रतिस्पर्धी और कुशल बाजार को बढ़ावा देते हुए, सरकारी प्रापण प्रक्रिया में सभी हितधारकों की न्यायसंगत और निष्पक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह पारदर्शिता बढ़ाता है, समावेशिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के लिए सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ खरीदी जाएँ।

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात में गिरावट

2135 श्री रवनीत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के निर्यात में गिरावट आई है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी माह-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश से निर्यात की मात्रा में गिरावट के कारणों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार देश में वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में सुधार लाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) वर्ष 2020-21 में 497.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 676.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे 35.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है और वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 776.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे 14.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) का माह-वार मूल्य **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने भारत के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।
- (ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- (iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।
- (v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत कवर किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।

- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।
- (viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (ix) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों द्वारा नियमित रूप से निर्यात निष्पादन की निगरानी की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

2 अगस्त 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2135 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान माह-वार समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं)

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

माह	2020-21	2021-22	2022-23
अप्रैल	26.62	48.81	63.75
मई	36.01	50.16	64.13
जून	39.03	52.79	69.20
जुलाई	40.81	54.87	62.60
अगस्त	39.27	53.84	63.52
सितंबर	44.84	55.42	64.61
अक्टूबर	41.50	56.10	56.95
नवंबर	40.70	52.47	61.87
दिसंबर	45.94	65.25	69.16
जनवरी	44.90	56.86	63.78
फरवरी	45.48	58.46	64.39
मार्च	56.05	71.52	72.34

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2127

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरीका और चीन से मध्य व्यापार युद्ध

2127. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
डॉ.सुजय विखे पाटील :
श्री कृष्णपालसिंह यादव :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच 'व्यापार युद्ध' से अवगत है जो अभी भी जारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अमेरिका के साथ प्रतिकूल व्यापार समझौतों के बीच वैकल्पिक देशों की तलाश में बहु-राष्ट्रीय निगमों के चीन से बाहर निकलने की प्रवृत्ति से सरकार अवगत है;
- (घ) यदि हां, तो स्थिरता, अवसंरचना, जनशक्ति, अधिगम, अनुशासन और श्रम कानूनों के संबंध में चीन की तुलना में भारत की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) सरकार द्वारा संभावित विदेशी निवेश को हासिल करने हेतु उठाए गए कदमों और कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

- (क) और (ख): सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटनाक्रमों पर दृष्टि रखती है और नोट किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता के जोखिम को कम करने के अपने आशय की घोषणा की है।

(ग): चीन के बाहर उत्पादन स्थानांतरित करने वाली कंपनियों अथवा चीन में अपने व्यवसाय को बंद करने तथा अन्य देशों में जाने वाली वैश्विक कंपनियों के संबंध में कोई सार्वजनिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ): सरकार ने देश में कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए, समय-समय पर, सुधार आरंभ किए हैं। इन सुधारों का फोकस मौजूदा विनियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और अनावश्यक आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को समाप्त करना रहा है। भारत में निवेश की तलाश कर रहे संभावित निवेशकों की सहायता और सुविधा के लिए इन्वेस्ट इंडिया में देश विशिष्ट डेस्क बनाए गए हैं। मेक इन इंडिया, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी, एफडीआई नीति का उदारीकरण, कौशल विकास, अवसंरचना विकास, वित्तीय क्षेत्र में सुधार आदि के रूप में सरकार की पहल का उद्देश्य भारत को विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना है।

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मिर्च का उत्पादन

2117. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मिर्च का कुल कितना उत्पादन और निर्यात किया गया है;

(ख) क्या शीर्ष मिर्च उत्पादक और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार का एक पृथक मिर्च बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने मिर्च उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मिर्च का कुल उत्पादन और निर्यात नीचे दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	
	मात्रा (एमटी)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रुपए में)
2020-21	2049213	649815	924127
2021-22	1836222	557144	858458
2022-23 (अग्रिम अनुमान)	1957635	516185	1044592

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (उत्पादन) और मसाला बोर्ड (निर्यात)

(ख) और (ग) : वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मिर्च के उत्पादन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन का अधिदेश केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में निहित है। मसाला बोर्ड के पास मिर्च सहित मसालों के निर्यात संवर्धन का अधिदेश है। मसाला बोर्ड फसलोपरांत सुधार, बाजार संपर्क बनाने और मिर्च सहित मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए गतिविधियां कर रहा है।

(घ) और (ङ): मसाला बोर्ड की 'एकीकृत मसाला निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता सुधार और इलायची अनुसंधान एवं विकास स्कीम' नामक स्कीम के निर्यात विकास एवं संवर्धन घटक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिर्च सहित मसालों का संवर्धन करना, अवसंरचना विकास, मूल्यवर्धन, व्यापार संवर्धन आदि के लिए निर्यातकों की सहायता करना है। इसके अलावा, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों (एसएचएम) द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत देश में मिर्च के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। मिशन कार्यक्रमों का उद्देश्य घरेलू और निर्यात बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

इसके अतिरिक्त, मिर्च उद्योग को सहायता देने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा विभिन्न अन्य उपाय जैसे मिर्च सहित मसालों के प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और भंडारण के लिए मसाला पार्कों की स्थापना; चिली टास्क फोर्स समिति का गठन; गुणवत्ता सुधार और उद्यमिता विकास के उद्देश्य से मिर्च के हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; आयातक देशों के गुणवत्ता विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिर्च की निर्यात खेपों का गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यान्वित किए गए हैं ।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2082

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापार समझौता

2082. श्री पी.वी.मिथुन रेड्डी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापार समझौते और वार्ताओं से संबंधित अद्यतन जानकारी क्या है

ख भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों पर इस सौदे के संभावित प्रभाव क्या हैं

ग क्या इससे संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा व्यापार घटा प्रभावित होगा और

घ यदि हां तो इसका सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

क) भारत-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की संयुक्त समिति (जेसी) की पहली बैठक जून को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। संयुक्त समिति की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ सीईपीए के तहत द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की सीईपीए के तहत स्थापित समितियों/उप-समितियों/तकनीकी परिषद को प्रचालनात्मक करने पर सहमति व्यक्त की सीईपीए की प्रभावी निगरानी के लिए अधिमानी व्यापार डेटा का तिमाही आधार पर पारस्परिक आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की और किसी भी ऐसे मुद्दे के समाधान करने पर सहमति व्यक्त की जो संभावित रूप से सीईपीए के कार्यान्वयन या दोनों पक्षों के व्यवसायों द्वारा इसके उपयोग में बाधा बन सकता है और सेवा व्यापार पर एक नई उप-समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की।

ख) से (घ) भारत को यूएई द्वारा अपनी से अधिक टैरिफ लाइनों पर दी गई अधिमानी बाजार पहुंच से लाभ हुआ है जो मूल्य के संदर्भ में यूएई को भारतीय निर्यात का हिस्सा है और इसमें श्रम-प्रधान क्षेत्रों (जिसमें से अधिकांश एमएसएमई श्रेणी में हैं) जैसे रत्न और आभूषण कपड़ा चमड़ा जूते खेल के सामान प्लास्टिक फर्नीचर कृषि और लकड़ी के उत्पाद शामिल हैं ।

संयुक्त समिति की बैठक के दौरान भारत और यूएई ने और अधिक आर्थिक संबंध बनाने और सीईपीए लाभों को इष्टतम करने के लिए एमएसएमई और स्टार्ट-अप पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूएई-भारत सीईपीए परिषद (यूआईसीसी) को बी बी सहयोग तंत्र के रूप में स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।

वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें सीईपीए कार्यान्वयन के बाद की अवधि भी शामिल है यूएई को भारत के निर्यात में की वृद्धि हुई है। सीईपीए के तहत लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख भारतीय क्षेत्र खनिज ईंधन खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद विद्युत मशीनरी और उपकरण रत्न और आभूषण ऑटोमोबाइल्स सुगंधित तेल और रेजिनोइड पफर्यूमरी, कॉस्मेटिक या प्रसाधन-सामग्री मशीनरी और यांत्रिक उपस्कर और अनाज हैं।

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात में गिरावट

2135 श्री रवनीत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के निर्यात में गिरावट आई है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी माह-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश से निर्यात की मात्रा में गिरावट के कारणों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार देश में वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में सुधार लाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) वर्ष 2020-21 में 497.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 676.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे 35.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है और वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 776.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे 14.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) का माह-वार मूल्य **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने भारत के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।
- (ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- (iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।
- (v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत कवर किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।

- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।
- (viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (ix) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों द्वारा नियमित रूप से निर्यात निष्पादन की निगरानी की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

2 अगस्त 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2135 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान माह-वार समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं)

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

माह	2020-21	2021-22	2022-23
अप्रैल	26.62	48.81	63.75
मई	36.01	50.16	64.13
जून	39.03	52.79	69.20
जुलाई	40.81	54.87	62.60
अगस्त	39.27	53.84	63.52
सितंबर	44.84	55.42	64.61
अक्टूबर	41.50	56.10	56.95
नवंबर	40.70	52.47	61.87
दिसंबर	45.94	65.25	69.16
जनवरी	44.90	56.86	63.78
फरवरी	45.48	58.46	64.39
मार्च	56.05	71.52	72.34

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबड़ किसानों को सहायता

2081. श्री एम.के.राघवन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल के रबड़ किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार ने यह देखा है कि आयातित रबड़ की कीमत भारत के वास्तविक रबड़ उत्पादकों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है और यदि हां, तो रबड़ किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार की रबड़ के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 300/- रुपये करने की कोई योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत सरकार, रबड़ बोर्ड के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के विकास के लिए "प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास" स्कीम लागू कर रही है। इस स्कीम के तहत, रबड़ बोर्ड उत्पादकों को नए रोपण और (जरा-जीर्ण पौधों के) पुनर्रोपण के लिए राजकोषीय सहायता प्रदान करता है। रबड़ बोर्ड गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री भी प्रदान करता है, रबड़ उत्पादक समितियों (आरपीएस) को बढ़ावा देता है, समूह प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करता है, रबड़ के पेड़ों के दोहन और क्षेत्र लेटेक्स के प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, दोहन के दिनों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्षा रक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है और रबड़ बागानों में रोगों की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ख) प्राकृतिक रबड़ की कीमत खुले बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। अंतरराष्ट्रीय रबड़ कीमतें भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं। सरकार ने घरेलू कीमतों पर रबड़ की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव को विनियमित करने के उद्देश्य से शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क में "20% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" से "25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" की बाध्य दर 30.4.2015 से बढ़ा दी है। सरकार ने अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबड़ के उपयोग की अवधि को जनवरी 2015 में 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया। प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए प्रवेश बंदरगाह को चेन्नई और न्हावा शेवा के बंदरगाहों तक जनवरी 2016 में ही सीमित कर दिया गया। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राकृतिक रबड़ की तरह ही मिश्रित रबड़ पर भी सीमा शुल्क की दर 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।

(ग) एवं (घ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
अंगूर का निर्यात

2298. श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र देश में अंगूर का एक प्रमुख निर्यातक है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य द्वारा किन देशों को अंगूर निर्यात किया गया है और इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र के किसानों को अंगूर का और अधिक उत्पादन करने हेतु कोई प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी हाँ, महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा अंगूर निर्यातक राज्य है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत ने 348.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अंगूरों का निर्यात किया, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा 92.52% था, जिसका मूल्य 322.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से निर्यात किए गए अंगूर और उससे अर्जित राजस्व का देश-वार विवरण अनुबंध में है।

(ग) और (घ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत, अंगूर सहित, बागवानी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात के विकास के लिए हार्वेस्ट पूर्व और बाद के प्रबंधन सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

अनुबंध

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2298 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

महाराष्ट्र से अंगूर का निर्यात

मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

देश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
नीदरलैंड	102.31	96.14	104.63	112.70	116.58
संयुक्त अरब अमीरात	19.18	17.68	21.88	22.12	24.28
यूके	28.98	27.54	33.46	21.69	24.27
रूस	42.51	33.94	31.45	30.10	18.02
बांग्लादेश पीआर	0.31	5.46	13.13	36.36	17.01
सऊदी अरब	13.79	13.21	14.76	10.18	13.56
जर्मनी	23.26	17.97	11.34	8.35	12.05
हांगकांग	1.75	2.24	5.54	2.09	10.16
मलेशिया	4.25	6.43	6.84	6.57	9.73
टर्की	1.00	1.02	0.28	0.72	9.47
थाईलैंड	4.96	5.65	4.78	5.35	6.29
चीन पी आर पी	4.78	4.36	3.21	1.30	6.23
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	2.06	2.76	3.18	3.05	5.50
ओमान	5.96	6.36	5.87	3.59	4.31
नेपाल	1.08	1.13	2.18	3.08	3.50
इंडोनेशिया	1.73	1.44	0.22	0.90	3.24
ब्राज़ील	0.47	0.49	0.85	0.49	2.81
मोरक्को	3.55	4.91	1.67	0.18	2.59
रोमानिया	0.76	0.56	0.61	0.59	2.55
अन्य देश	37.31	37.03	34.60	36.94	30.53
कुल योग	299.97	286.31	300.48	306.38	322.67

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यातक राज्यों को परिवहन राजसहायता

2229 श्री दिनेश लाल यादव "निरहुआ":

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने निर्यातक राज्यों को परिवहन राजसहायता प्रदान करके कृषि निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किया है अथवा करने का विचार किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात एजेंसियों को प्रदान की जा रही अन्य राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) सरकार कृषि निर्यात के लिए राज्यों को कोई परिवहन सब्सिडी प्रदान नहीं करती है। तथापि, सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की "ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम के अंतर्गत पात्र फसलों के घरेलू परिवहन के लिए पात्र लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करती है। निर्यात के मामले में, परिवहन शुल्क के लिए सब्सिडी केवल भारतीय सीमाओं तक देय है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना भी आरंभ की है जिससे कि उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में सहायता मिल सके। कृषि उड़ान योजना 2.0 मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से आशुविकारी खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित है। हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने चयनित कृषि उड़ान हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहकों और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) विमानों के लिए लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि की छूट की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) "एपीडा की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना" नामक अपनी स्कीम के अंतर्गत निर्यात अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास जैसे घटकों के तहत कृषि उत्पादों के अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन में शामिल निर्यात संवर्धन परिषदें और अन्य एजेंसियां वाणिज्य विभाग की अन्य योजनाओं जैसे निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के तहत भी सहायता की हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, स्कीम के दिशानिदेशानुसार कृषि उत्पादों सहित, निर्यातक निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट के हकदार हैं।

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जांचा-परखा प्रस्ताव

2208. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि यूरोपीय संघ के जांचे-परखे प्रस्ताव से हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रभावित होंगे और आयात में कमी आएगी;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई लागत आकलन किया है कि इस प्रकार के कानून से यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात और प्रभावित एमएसएमई फर्मों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है जिनके पास श्रम, पर्यावरण और अन्य कानूनों को लागू करने की क्षमता कम है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के मध्य हुए मुक्त व्यापार समझौते में इस मुद्दे को उठाने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुक्त व्यापार समझौते में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): यूरोपीय आयोग ने डाइरेक्टिव ऑन कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी इयू डिलिजेंस (सीएसडीडी) के रूप में एक विधायी प्रस्ताव किया है, जिसका ईयू के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधायन किया जाना अभी भी बाकी है। वर्तमान में, यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के बीच यूरोपीय संघ के विभिन्न प्राधिकारियों के मध्य सीएसडीडी पर एक आंतरिक समझौता प्राप्त करने के लिए वार्ता चल रही है। इसका पूरा निहितार्थ तभी स्पष्ट होगा जब कानून प्रभावी होगा। ऐसे मामलों पर, सरकार इन मुद्दों को उचित मंच पर उठाने के लिए भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग निकायों और व्यापार विशेषज्ञों के साथ हितधारक परामर्श का आयोजन करती है।

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भारतीय व्यापार पर प्रभाव

2197. श्री एन. रेड्डप्प:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) प्रमुख रूसी बैंकों पर बड़े प्रतिबंधों के साथ स्विफ्ट से विसंबंधन; बड़े शिपिंग एवं लाजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा रूस को जाने वाली कार्गो को सेवा नहीं देने से बीमा एवं पुर्नबीमा कवरेज; तथा लाजिस्टिक्स में समस्या से भुगतान में कठिनाई के कारण भारत का रूस के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है।

भारत सरकार ने रूस को किए जाने वाले हमारे निर्यातों को न केवल बनाए रखने बल्कि बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और पूर्वी समुद्री (चेन्नई-व्लादिवोस्तोक) गलियारे का सुचारू प्रचालन शामिल है। 11 जुलाई, 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में विदेशी बैंकों द्वारा विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए) खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। 2 जुलाई, 2023 तक, आरबीआई ने 14 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में एसआरवीए खोलने के लिए विभिन्न रूसी बैंकों के 34 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त, व्यापार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए व्यापारियों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं।
